DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY
Bulletin Part-I
(Brief summary of proceedings)
Friday, 14th February 2014/02 Phalgun, 1935 (Saka)

No. 07

2.04 PM **Shri Maninder Singh Dhir, Hon'ble Speaker in Chair.**

1. 2.05 PM Shri Rambir Singh Bidhuri, Hon'ble Member sought to know about the fate of the notice of Breach of Privilege and Contempt of the House given by him under Rule-66 regarding fixing of the sitting of the House on the occasion of *Ravidas Jayanti*.

   The Chair ruled that such an occasion should be utilized for the disposal of important works for the benefit of society and that was the true tribute to revered saint Ravidas. It has been clearly mentioned in the 'Practice & Procedure of Parliament' by Kaul & Shakdher that *"In fixing the sittings, no note is taken of the other restricted holidays under the Government of India."*

   Members of BJP and Congress Party were not satisfied with the Ruling of the Chair.

   Dr. Harshvardhan, Leader of Opposition, Shri Haroon Yusuf, Leader of Congress Party, Shri Arvinder Singh Lovely and Shri Shoaib Iqbal raised their objections. They also stated that only Private Members' Business should be taken up on Friday.

   The Chair ruled that Government Business had been taken up along with Private Members' Business during many previous sessions.

2. 2.44 PM Members of BJP and Congress Party stood up on their seats and demanded the Hon'ble Lt. Governor's Message regarding introduction and consideration of Jan Lokpal Bill, 2014 be intimated to the House.

   Sloganeering in the House.

   Pandemonium in the House.

   The Chair requested the Hon'ble Members to take their seats but they did not relent.

3. 2.50 PM **The Chair adjourned the House for 20 minutes and invited Leaders** of all the legislature parties for discussion on the aforesaid issue in his chamber.

4. 3.21 PM **House reassembled.**
   Hon'ble Speaker in Chair.

5. 3.22 PM The Chair read the message of Hon'ble Lt. Governor informing the Hon'ble Members of the House that the Delhi Janlokpal Bill, 2014 should not be considered unless it is introduced with the recommendations of L.G.
All Members of Opposition demanded that the aforesaid Message be put to vote in the House.
Members of Aam Admi Party demanded that message should be taken up for discussion.
Exchange of arguments between the Members of Ruling Party and the Opposition.
Sloganeering by the Members of opposition.
They came in the well of the House.
Pandemonium in the House.

6. 3.50 PM **The Chair adjourned the House for 20 minutes due to disturbance in the proceeding.**

7. 4.35 PM **House reassembled.**
Hon'ble Speaker in Chair

8. 4.36 PM Dr. Harsh Vardhan, Leader of Opposition, Shri Arvinder Singh Lovely and other Members of the Opposition stated that the Delhi Janlokpal Bill, 2014 can neither be introduced nor considered in the House in the wake of the Message of Hon'ble Lt. Governor.

9. 4.48 PM Shri Arvind Kejriwal, Hon'ble Chief Minister moved for the leave of the House for introduction of "Delhi Janlokpal Bill, 2014 (Bill No. 02 of 2014)"
Dr. Harsh Vardhan, Leader of the Opposition and Sh. Arvinder Singh Lovely and other Members of Opposition raised their objections to introduction.
The Motion was put to vote.
Members of Opposition demanded division of votes on the Motion.
27 Members voted in favour of the motion and 42 voted against it by standing up on their seats. Hence the Motion was negated.

10. 4.55 PM **Introduction, Consideration and Passing of Supplementary Demand for Grant for the financial year 2013-14:**
Shri Arvind Kejriwal, Hon'ble Chief Minister presented the Supplementary Demand for Grants for the financial year 2013-14.
The Chief Minister also moved that the Supplementary Demand for Grant for the financial year 2013-14 be considered and passed.
The Motion was put to vote and adopted by voice-vote.

11. 4.56 PM **Introduction, Consideration and Passing of Appropriation (No. 1) Bill, 2014:**
Shri Arvind Kejriwal, Hon'ble Chief Minister introduced the **Appropriation (No.1) Bill, 2014** (Bill 1`No. 01 of 2014) with the leave of the House.
Shri Arvind Kejriwal, Hon'ble Chief Minister moved that the **Appropriation (No.1) Bill, 2014** (Bill 1`No. 01 of 2014) be taken into consideration.

The Motion was put to vote and adopted by voice-vote.
Chief Minister made a brief statement.
The Bill was considered clause-wise.
Shri Sahab Singh Chauhan and Shri Nand Kishore Garg moved their amendments in section 2 and 3 of the aforesaid Bill and took part in the discussion.
The aforesaid amendments were not carried out in the wake of the explanation submitted by Finance Department.
Following Members also participated in the debate :

3. Shri Arvinder Singh Lovely
4. Dr. Harshvardhan
5. Shri Rambir Singh Bidhuri
6. Shri Shoaib Iqbal
7. Shri Naresh Gaur
8. Shri Jai Kishan

Chief Minister replied to the debate.

Clause 2 and 3 of the Bill were put to vote and adopted by voice-vote.
Clause 1, Preamble and Schedule of the Bill were put to vote and adopted by voice-vote.

Shri Arvind Kejriwal, Hon'ble Chief Minister moved that the **Appropriation (No.1) Bill, 2014** (Bill No. 01 of 2014) be passed.
The Motion was put to vote and adopted by voice-vote.

12. 6.37 PM **Papers laid on the Table:**

1. **Shri Manish Sisodia, Minister of Urban Development** laid the copy of Annual Report of DUSIB for the year 2011-12 & 2012-13 (English version).
2. **Shri Saurabh Bhardwaj, Minister of Transport** laid the copy of the DMRC Report for the financial year 2012-13.

13. 6.38 PM The Chair expressed thanks to the Leader of the House, Leader of Opposition and all the Members of the House and also Officers/Officials of the Assembly Secretariat, Chief Secretary & other Officers of the Delhi Government & other agencies like PWD (Civil/Electrical/Horticultures), Delhi Police, CRPF, MTNL, Delhi Fire Service, Security including Special Branch and Print & Electronic Media for their co-operation in smooth conduct of the Session.

14. 6.40 PM **House was adjourned sine-die.**

National Anthem – Jan-Gan-Man.

Delhi
14th February, 2014

P.N.Mishra
Secretary

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-1

(कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख)

शुक्रवार, 14 फरवरी, 2014/फाल्गुन 02, 1935 (शक)

संख्या-07

2.04 बजे **श्री मनिन्दर सिंह धीर, माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए।**

1 2.05 बजे श्री रामवीर सिंह बिधुड़ी,माननीय सदस्य ने उनके द्वारा नियम-66 के अन्तर्गत रविदास जयन्ती के अवसर पर सदन की बैठक बुलाने के संबंध में दिये गये विशेषाधिकार हनन एवं अवमानना की सूचना के बारे में जानना चाहा।

अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि ऐसे अवसरों का उपयोग समाज के हित के लिये किये जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यो को निबटाने के लिये किया जाता है और यही संत रविदास जी को सच्ची श्रद्वांजलि है। कॉल एवं शकधर द्वारा लिखित पुस्तक संसदीय पद्धति एवं प्रक्रिया में भी स्पष्ट उल्लेख है कि **सदन की बैठक नियत करते समय भारत सरकार की अन्य प्रतिबंधित छुटिटयों का ध्यान नहीं रखा जाता है।**

भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस पार्टी के सदस्य अध्यक्ष की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हुए।

डॉ.हर्षवर्द्धन,नेता प्रतिपक्ष,श्री हारुन युसुफ,नेता कांग्रेस विधायी दल,श्री अरविन्दर सिंह लवली एवं श्री शोएब इकबाल ने इस पर आपत्ति दर्ज की। उन्होंने यह भी कहा कि शुक्रवार के दिन होने वाली बैठकों में केवल गैर सरकारी सदस्यों का कार्य ही लिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि इससे पूर्व भी विधान सभा की कई बैठकों में गैर सरकारी सदस्यों के कार्यों के साथ-साथ सरकारी कार्य भी लिये गये थे।

2. 2.44 बजे भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस पार्टी के सदस्य अपने आसनों पर खड़े हो गये और जन लोकपाल विधेयक,2014 को पुर:स्थापित करने एवं उस पर विचार करने के संबंध में उपराज्यपाल द्वारा दिये गये संदेश के संबंध में सदन को सूचित करने की मांग करने लगे।

सदन में नारेबाजी होने लगी।

सदन में शोर शराबा।

अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों को अपने आसनों पर बैठने का अनुरोध किया परन्तु वे नहीं मानें।

3. 2.50 बजे **सदन में लगातार शोर-शराबे के कारण अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही 20 मिनट के लिये स्थगित की एवं सदन के सभी पार्टी नेताओं को अपने कक्ष में विचार-विमर्श के लिये आमंत्रित किया।**

4. 3.21 बजे **सदन पुन: समवेत हुआ।**

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

5. 3.22 बजे माननीय अध्यक्ष ने उपराज्यपाल महोदय द्वारा भेजा गया संदेश पढ़ते हुए माननीय सदस्यों को सूचित किया किं दिल्ली जन लोकपाल विधेयक,2014 को तब तक विचार के लिये नहीं रखा जायेगा जब तक कि उसमें उपराज्यपाल की सिफारिश न हो।

प्रतिपक्ष के सभी सदस्य मांग करने लगे कि उक्त संदेश पर मतदान कराया जाये। आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने मांग की कि उक्त संदेश पर चर्चा कराई जाये।

सत्ता पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों में तर्क-वितर्क होने लगा।
प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन में शोर-शराबा ---------
वे सदन की वैल में आ गये।
सदन में शोर-शराबा जारी----------

6 3.50बजे सदन में लगातार शोर-शराबे के कारण अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही 20 मिनट के लिये स्थगित की

7 4.35बजे सदन पुनः समवेत हुआ।
अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

8 4.36बजे डॉ.हर्षवर्द्धन,नेता प्रतिपक्ष, श्री अरविन्दर सिंह लवली एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों ने कहा कि दिल्ली जन लोकपाल बिल 2014 को बिना उपराज्यपाल महोदय की सूचना के बगैर सदन में ना तो पुरःस्थापित किया जा सकता है और न ही विचार के लिए रखा जा सकता है।

9 4.48बजे श्री अरविन्द केजरीवाल, माननीय मुख्यमंत्री ने सदन की अनुमति से दिल्ली जन लोकपाल विधेयक 2014 (2014 का विधेयक संख्या-2) को पुरःस्थापित किया
डॉ.हर्षवर्द्धन,नेता प्रतिपक्ष, श्री अरविन्दर सिंह लवली एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों ने उक्त विधेयक के पुंरःस्थापन पर अपनी आपत्तियां दर्ज की।
प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा गया।
प्रतिपक्ष के सदस्यों ने उपरोक्त प्रस्ताव पर मत विभाजन की मांग की।
27 सदस्यों ने प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया जबकि 42 सदस्यों ने अपने आसन पर खडे होकर मतदान में भाग लिया। इस प्रकार प्रस्ताव अस्वीकत हुआ।

10 4.55बजे **वर्ष 2013-14 के लिए अनुपूरक अनुदान मांग का प्रस्तुतीकरण एवं पारित करना:**
श्री अरविन्द केजरीवाल, मुख्य मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए अनुपूरक अनुदान मांग को सदन में प्रस्तुत किया।
मुख्य मंत्री ने यह भी प्रस्ताव किया कि वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए अनुपूरक अनुदान मांग पर विचार किया जाए एवं पारित किया जाए।
प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा गया एवं ध्वनिमत से पारित हुआ।

11 4.56बजे **विनियोजन (संख्या-1) विधेयक,2014 का पुरःस्थापन, विचार एवं पारित करना:**
श्री अरविन्द केजरीवाल,मुख्य मंत्री ने सदन की अनुमति से **विनियोजन (संख्या-1) विधेयक,2014 (2014 का विधेयक संख्या-01)** को सदन में पुरःस्थापित किया।
मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि **विनियोजन (संख्या-1) विधेयक,2014 (2014 का विधेयक संख्या-01) पर** विधेयक पर विचार किया जाए।
प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा गया एवं ध्वनिमत से पारित हुआ।
मुख्यमंत्री ने विधेयक के संबंध में संक्षिप्त वक्तव्य दिया।
विधेयक पर खंड वार विचार किया गया।
श्री साहब सिंह चौहान एवं श्री नंद किशोर गर्ग ने विधेयक के खंड 2 एवं खंड 3 पर अपने संशोधन रखे एवं चर्चा में भाग लिया।
उपर्युक्त संशोधनों को वित्त विभाग द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के कारण स्वीकार नहीं किया गया।
चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

3. श्री अरविन्दर सिंह लवली
4. डा.हर्षवर्धन
5. श्री रामवीर सिंह विधुडी
6. श्री शौएब इकबाल
7. श्री नरेश गौड
8. श्री जयकिशन

मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विधेयक का खंड 2 और खंड 3 को मतदान के लिए रखा गया एवं ध्वनिमत से पारित किया गया।

खंड 1, प्रस्तावना एवं अनुसूची को मतदान के लिए रखा गया एवं ध्वनिमत से पारित किया गया।

श्री अरविन्द केजरीवाल,मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि **विनियोजन (संख्या-1) विधेयक,2014 (2014 का विधेयक संख्या-01)** को सदन द्वारा पारित किया जाए।

प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा गया एवं ध्वनिमत से पारित हुआ।

12 **6.37बजे** **सदन पटल पर प्रस्तुत किए जाने वाले कागजात :**

1. श्री मनीष सिसोदिया, शहरी विकास मंत्री ने वर्ष 2011-12 और 2012-2013 के लिए दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदनों की हिन्दी, अंग्रेजी,उर्दू एवं पंजाबी की प्रति सदन पटल पर रखी।

2.**श्री सौरभ भारद्वाज,परिवहन मंत्री** ने वर्ष 2012-13 के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखीं।

13 **6.38बजे** अध्यक्ष महोदय ने सत्र के सुचारू संचालन में सहयोग के लिए सदन के सभी सदस्यों, विधान सभा सचिव एवं सचिवालय के अधिकारीगण,मुख्य सचिव एवं दिल्ली सरकार के अधिकारीगण एवं अन्य एजेंसियों के अधिकारियों जैसे लोक निर्माण विभाग (सिविल/इलैक्ट्रिकल/हार्टिकल्चरल), दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, दिल्ली फायर सर्विस, सिक्यूरिटी, स्पेशल ब्रांच के स्टाफ तथा प्रिंट एवं इलैक्ट्रोनिक मीडिया का धन्यवाद किया।

14 **6.40बजे** **सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुआ।**
राष्ट्रगान : जन-गण-मन

दिल्ली
14 फरवरी, 2014

पी.एन.मिश्रा
सचिव